भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3762

(जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया)

एनसीएलटी में रिक्तियां

3762. श्री ससिकांत सेंथिलः

कु. सुधा आर.:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में वर्तमान में कुल कितनी रिक्तियां हैं तथा पूर्णकालिक और अंशकालिक रूप से कार्यरत न्यायालयों की संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार के पास एनसीएलटी की पीठों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उक्त रिक्तियों को भरने के लिए न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति में विलंब होने के क्या कारण हैं और इस मुद्दे के समाधान के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है;
(ग) उक्त रिक्तियों का दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत दिवाला मामलों के समय पर समाधान पर क्या प्रभाव पड़ा है;
(घ) क्या एनसीएलटी के किसी पूर्व और वर्तमान सदस्य/चेयरपर्सन के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है; और
(ङ) क्या सरकार ने एनसीएलटी के कार्यकरण में विलंब के कारण लंबित मामलों का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि कारपोरेट दिवाला समाधान में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए सभी एनसीएलटी न्यायालय का कार्य संचालन पूर्णकालिक आधार पर और कुशलतापूर्वक हो सके?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): आज की तारीख में, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की पीठों में न्यायिक सदस्य के दो पद तथा तकनीकी सदस्य का एक पद रिक्त है। दिनांक 07.03.2025 की स्थिति को, 30 न्यायालय कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 26 पूरे दिन के आधार पर तथा 4 आधे दिन के आधार पर कार्य कर रहे हैं।

(ख): आज की स्थिति को, एनसीएलटी पीठों को तत्काल बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रिक्तियों को भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है।

(ग): अधिकरण में मामलों का निपटारा कानून में प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है तथा लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि को सीधे तौर पर केवल रिक्तियों के कारण नहीं माना जा सकता। एनसीएलटी एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। एनसीएलटी में मामलों के लंबित रहने के कई कारण हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक मामले की परिस्थितियां और जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, इंटरलोक्यूटरी आवेदनों (आईए) की संख्या, उच्च न्यायालयों द्वारा स्टे, हितधारकों का सहयोग आदि शामिल हैं।

(घ): एनसीएलटी के किसी भी पूर्व या वर्तमान सदस्य/अध्यक्ष के खिलाफ कोई अनुशासनिक मामला नहीं है।

(ङ): शीघ्र निपटान की सुविधा के लिए, सरकार सतत आधार पर आवश्यक कदम उठा रही है, जिसमें ई-कोर्ट और हाइब्रिड कोर्ट परियोजना का कार्यान्वयन, सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए नियमित संगोष्ठियाँ, बुनियादी ढाँचे का प्रावधान, रिक्तियों को भरना आदि शामिल हैं।

*****